



7.5.18

प्रा. अरुण अरुण सेना केन्द्र गोयला से लगे गरीब छात्रों का
अर्थना पत्र कृष्ण गोयला की जमाबंदी सं. २०६९-२०८८
खाला सं. ३३३ किला २ ब्रह्म ०.६५ हेंच प्रेमकुंवर
धर्मपत्नी प्रेमचन्द महावीर पुत्र प्रेमचन्द, स्वीटलता पत्नी
अशोक, मनिष, भावेश (ना.वा.) पि. अशोक शालिनी

~~मि. धर्मपत्नी~~

जाहन्वी (ना.वा.पुत्रियां अशोक) के नाम दर्ज हैं प्रार्थीगण को इस आराजी में आधा हिस्सा है अप्रार्थी संख्या 1 का $\frac{1}{2}$ हिस्सा है अप्रार्थी नै दिनांक 22-10-17 को फसल क्षेत्रों का काश्त हेतु बाधा पहुँचाई। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थापी निर्बंधान्ना पबन्द किया जावे जिससे प्रार्थीगण के संयुक्त कृषि आधिपत्य व काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो तथा उक्त वर्गित भूमि का बिना छंटवारा कराये प्रार्थीगण को जबरन बौदखत न करें तथा न किसी अजनबी व्यक्ति को खेपानान्तरण करें। प्रकरण में कानूनी सिन्डु निहित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, पत्रकार मोंका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाने रखें तथा राजस्व रिकॉर्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। खर्च करिकेन अपना-अपना वहन करें। यह प्रार्थना पत्र एक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है एक अधिकार का प्रश्न प्रत्येक में तय होगा। आदेश अटल सेवा केन्द्र गौयला में सुनाया गया।


सदस्य
नव अदालत
सरवाड


सदस्य
नव अदालत
सरवाड

10
अध्यक्ष
लोक अदालत विद
सरवाड (अजमेर)